

**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

क्रं./शि.क./संवि./बी/68/2011/७१७

भोपाल, दिनांक २५/८/११

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग एवं पारस्परिक आधार पर अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालन-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालन-5 तथा तालिका के कालन-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	वर्तमान में कार्यरत निकाय	निकाय का नाम जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती ममता शर्मा अध्यापक (गणित) शा.मा.शा. अमलायपत्थरकी जिला शाजापुर	BA4599	232207003 03	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.1982दि. 16.05.11	जिला पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र.10602दि.02.08.11 शा.हाईस्कूल चकरावदा	232102666 18
2	श्रीमती सुधा पटेल सहायक अध्यापक शा.मा.शा. टिकरिया (अगरिया) जिला जबलपुर	AB9696	233907021 02	जनपद पंचायत सिहोरा जिला जबलपुर जा.क्र.987 दि. 01.08.11	जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा जिला कटनी जा.क्र.690 दि. 03.08.14 शा.प्रा.शा. भनपुराकला	233806052 02
3 पा र स् प रि क 4	श्री लक्ष्मीचंद दांगी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. सालरियाखेड़ी जिला राजगढ़	AU8206	233002240 01	जनपद पंचायत ब्यावरा जिला राजगढ़ जा.क्र.392 दि 25.05.11	जनपद पंचायत कालापीपल जिला शाजापुर जा.क्र.757 दि 25.07.11 शा.प्रा.शा. बेगमखेड़ी	232205045 01
	श्री रामस्वरूप यादव सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. बेगमखेड़ी जिला शाजापुर	BA5385	232205045 01	जनपद पंचायत कालापीपल जिला शाजापुर जा.क्र.757 दि 25.07.11	जनपद पंचायत ब्यावरा जिला राजगढ़ जा.क्र.392 दि 25.05.11 शा.प्रा.शा. सालरियाखेड़ी	233002240 01
5	श्रीमती सीमा पाटीदार सहायक अध्यापक शा.उ.मा.वि. पालसोड़ा जिला नीमच	AS7035	231807777 13	जनपद पंचायत नीमच जिला नीमच जा.क्र.2171दि. 21.07.11	जनपद पंचायत मंदसौर जिला मंदसौर जा.क्र.2494दि. 19.07.11 शा.हाईस्कूल कचनारा पलेग	231906666 09
6	श्रीमती ज्योति जवंजाला सहायक अध्यापक शा.हाईस्कूल मड़ई जिला छिंदवाड़ा	AG9148	234310888 02	जनपद पंचायत हरई जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.1504दि. 02.08.11	जनपद पंचायत वैतूल जिला वैतूल जा.क्र.1334दि. 29.06.11 शा.प्रा.शा. मंडई बुर्जग	233503175 01

(३)

7	श्रीमती रश्मि शर्मा सहायक अध्यापक शा.मा.शा. शेरपुर जिला रतलाम	BI7465	232004075 03	जनपद पंचायत पिपलौदा जिला रतलाम जा.क्र.1369दि. 14.05.10	जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र.3686दि. 08.08.11 शा.प्रा.शा. मुण्डला	232605057 03
8	श्रीमती सीमा जैन सहायक अध्यापक शा.नवीन प्रा.शा. चक सकतपुर जिला गुना	AK3336	230706310 01	जनपद पंचायत गुना जिला गुना जा.क्र.2414दि. 09.09.10	जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र.3060दि. 06.08.11 शा.प्रा.शा. सिन्दोड़ी	232605094 01
9	श्रीमती सोनू खजूरिया सहायक अध्यापक शा.उ.मा.वि. खरबई जिला रायसेन	BF4260	233405240 05	जनपद पंचायत सांची जिला रायसेन जा.क्र.1524दि. 06.08.11	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.क्र.1737दि. 08.08.11 शा.उ.मा.वि. पड़रियाकाछी	233202777 04
10	श्रीमती दीपिका सिंह सहायक अध्यापक शा.नवीन प्रा.शा. जेरई जिला सागर	BP1089	231108159 03	जनपद पंचायत राहतगढ़ जिला सागर जा.क्र.131 दि. 27.09.10	जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर जा.क्र.1228दि. 03.08.11 शा.प्रा.शा. बेलखाडू	233904149 01
11	श्रीमती दीप्तिबाला सिलावट अध्यापक (कला) शा.मा.शा. खरगावली जिला रायसेन	AU1999	233405119 02	जिला पंचायत रायसेन जिला शाजापुर जा.क्र.3915दि. 24.06.11	जिला पंचायत हरदा जिला हरदा जा.क्र.6662दि. 05.08.11 शा.नवीन मा.शा. खिडकीवाला	233602019 02

### संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। पदांकन आदेश जारी नहीं होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

“ आयुक्त द्वारा अनुमोदित ”

सहायक संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 24/8/11

पृष्ठा. क्रं./शि.क./संवि./बी/68/2011/728  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

सहायक संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

क्रं./शि.क./संवि./ए/99/2011/729

भोपाल, दिनांक 24/8/11

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग एवं पारस्परिक आधार पर अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	वर्तमान में कार्यरत निकाय	निकाय का नाम जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा (नि:शक्त) सहायक अध्यापक शा.उ.मा.वि. तरीचरकलौं जिला टीकमगढ़	AL6644	230803777 07	नगर पंचायत तरीचरकलौं जिला टीकमगढ़ जा.क्र. 489दि. 01.07.11	नगरपालिक निगम खण्डवा जिला खण्डवा जा.क्र. 15 दि. 19.05.11 शा.मोतीलाल नेहरू उ. मा.वि. खण्डवा	232907777 02
2	श्री दिनेश प्रसाद त्रिपाठी (नि:शक्त) अध्यापक (भाषा समूह) शा.पूर्व मा.शा. कोटा नं-1 जिला सतना	AW3385	231304090 03	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र.1541दि. 23.08.10	नगरपालिक निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र.1503दि. 30.07.11 शा.पूर्व मा.शा. रतहरी	231401171 02
3	श्री कैलाशचंद्र लुनेरिया (नि:शक्त) अध्यापक (सा. विज्ञान) शा.हाईस्कूल कनघटटी जिला मंदसौर	AQ6559	231904666 01	जिला पंचायत मंदसौर जिला मंदसौर जा.क्र.1699दि. 03.06.11	जिला पंचायत रतलाम जिला रतलाम जा.क्र.8852दि. 08.07.11 शा.मा.शा. नयानगर	232003105 02
4	श्री अगमलाल सिंह (नि:शक्त) अध्यापक (गणित) शा.पूर्व मा.शा. नयागांव जिला पन्ना	AT1790	231005038 02	जिला पंचायत पन्ना जिला पन्ना जा.क्र.2019दि. 02.08.11	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.2171दि. 30.07.11 शा.पूर्व मा.शा. पतेरी	231401019 04
5	श्री किशन माल्या (नि:शक्त) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. आवल्या जिला खण्डवा	BR1600	232909008 01	जनपद पंचायत पुनासा जिला खण्डवा जा.क्र.502 दि. 26.04.11	जनपद पंचायत खातेगांव जिला देवास जा.क्र.707 दि. 28.04.11 शा.प्रा.शा. गुर्जरगांव	232306113 01
6	श्री संतोष कुशवाह (नि:शक्त) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. सढ जिला शिवपुरी	BA9789	230608042 01	जनपद पंचायत नखर जिला शिवपुरी जा.क्र.1752दि. 01.08.11	जनपद पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क्र.क्यू. दि. 30.07.11 शा.प्रा.शा. जखौरिया	230501091 01

2


7	श्री विनय कुमार सिंह (नि:शक्त) अध्यापक (विज्ञान) शा.मा.शा. बंदरी जिला कटनी	AN2823	233803091 02	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क्र.781 दि. 16.05.11	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.1166दि. 27.05.11 शा.पूर्व मा.शा. खम्हरिया	231401159 03
8	श्री संजय सिंह धाकड़ (नि:शक्त) अध्यापक शा.मा.शा. रुसल्लाखुर्द जिला अशोकनगर	AC3468	234607025 02	जिला पंचायत अशोकनगर जिला अशोकनगर जा.क्र.2345दि. 29.06.11	जिला पंचायत मुरैना जिला मुरैना जा.क्र.7949दि. 19.07.11 शा.मा.शा. खिरी	230206038 03
9	श्री विजय सिंह मीना (नि:शक्त) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. राधोखेड़ी जिला शाजापुर	BA1352	232205085 01	जनपद पंचायत कालापीपल जिला शाजापुर जा.क्र.843 दि. 02.08.11	जनपद पंचायत राधोगढ़ जिला गुना जा.क्र.1275दि. 30.06.11 शा.प्रा.शा. पिपल्या	230709003 01
10	श्री राजाराम प्रजापति (नि:शक्त) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. सूजाचकक जिला विदिशा	BE8790	233103127 02	जनपद पंचायत कुरवाई जिला विदिशा जा.क्र.720 दि. 10.05.11	जनपद पंचायत रहली जिला सागर जा.क्र.238 दि. 16.05.11 शा.प्रा.शा. तिरवी	231105142 01
11	श्री टिकेश्वर करहि (नि:शक्त) अध्यापक (विज्ञान) शा.उन्नत मा.वि. गोण्डकुआं जिला इंदौर	AM7059	232602133 01	जिला पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र.3531दि. 22.03.11	जिला पंचायत बालाघाट जिला बालाघाट जा.क्र.3226दि. 27.04.11 शा.उ.मा.वि. टेमनी	234508666 02
12	श्री तारासिंह ठाकुर (नि:शक्त) अध्यापक (कला) शा.मा.शा. मांगरोल जिला रायसेन	AT8000	233401167 05	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र.4254दि. 29.07.11	जिला पंचायत होंशगाबाद जिला होंशगाबाद जा.क्र.5458दि. 01.06.11 शा.हाईस्कूल हथवास	233706666 03
13	श्री मायाराम चौधरी (नि:शक्त) अध्यापक शा.मा.शा. साबुखेड़ी जिला देवास	BH1974	232301011 03	जिला पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र.2703दि. 15.06.11	जिला पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र.9566दि. 07.07.11 शा.मा.शा. तालोद	232101126 03
14	श्री नारायण राठौर (नि:शक्त) सहायक अध्यापक शा.उ.मा.वि. जावर जिला खण्डवा	AO2493	232999777 02	जनपद पंचायत खण्डवा जिला खण्डवा जा.क्र.1064दि. 11.04.11	जनपद पंचायत कन्नौद जिला देवास जा.क्र.735 दि. 08.04.11 शा.प्रा.शा. बडौदा	232305152 01
15	श्री हरिचरण राजपूत (नि:शक्त) अध्यापक शा.मा.शा. पोखर खुर्द जिला देवास	BT6582	232305114 02	जिला पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र.434दि. 15.04.11	जिला पंचायत मुरैना जिला मुरैना जा.क्र.6496दि. 15.06.11 शा.हाईस्कूल सुर्जनपुर	230203666 18

**संविलियन की शर्त :-**

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।

3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। पदांकन आदेश जारी नहीं होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।


“ आयुक्त द्वारा अनुमोदित ”

  
 सहायक संचालक  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
 भोपाल, दिनांक 24/8/11

पृष्ठा. क्रं./शि.क./संवि./ए/99/2011/730

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
 सहायक संचालक  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

क्रं./शि.क./संवि./ए/103/2011/732

भोपाल, दिनांक 24/8/11

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग एवं पारस्परिक आधार पर अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	वर्तमान में कार्यरत निकाय	निकाय का नाम जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती मेहजबी खान अध्यापक (गणित) शा.हाईस्कूल सलकनपुर जिला धार	BK4386	232512888 03	जिला पंचायत धार जिला धार जा.क्र.8163दि. 22.07.11	जिला पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र.8057दि. 06.08.11 शा.मा.शा. मुण्डला नायता	232605057 04
2	श्रीमती प्रेमलता बारमासे अध्यापक शा.मा.शा. नंदलाई जिला धार	AJ1190	232511058 02	जिला पंचायत धार जिला धार जा.क्र.14805दि.01.09.10	जिला पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र.3906दि. 01.08.11 शा.मा.शा. राधोगढ़	232301124 03
3	श्रीमती विनीता श्रीवास्तव वरि. अध्यापक (हिन्दी) शा.उ.मा.वि. सारना जिला छिंदवाड़ा	AH3896	234301777 10	जिला पंचायत छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.971 दि 20.05.11	नगरपालिका परिषद मंडीदीप जिला रायसेन जा.क्र.982 दि 01.08.11 शा.क.उ.मा.वि. मंडीदीप	233405777 10
4	श्री अखिलेश कुमार मौर्य अध्यापक (कला) शा.मा.शा. पर्वतखेड़ा जिला उज्जैन	BE2814	232106039 02	जिला पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र.9439दि 06.07.11	जिला पंचायत ग्वालियर जिला ग्वालियर जा.क्र.3651दि. 21.07.11 शा.मा.शा. डूंडापुरा (झाला)	230403056 14
	श्री महेन्द्र सिंह डाबर अध्यापक (कला) शा.मा.शा. डूंडापुरा (झाला) जिला ग्वालियर	AL1444	230403056 14	जिला पंचायत ग्वालियर जिला ग्वालियर जा.क्र.3651दि. 21.07.11	जिला पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र.9439दि 06.07.11 शा.मा.शा. पर्वतखेड़ा	232106039 02
6	श्रीमती संध्या चतुर्वेदी अध्यापक (कला) शा.मा.शा. पोड़ीकला (अगरपाटन) जिला सतना	AV1798	231301029 01	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र.284दि. 14.06.11	जिला पंचायत भोपाल जिला भोपाल जा.क्र.3684दि. 10.08.11 शा.मा.शा. कान्हासैया नवीन वस्ती	233202075 04

2

7	श्रीमती सविता सोनी सहायक अध्यापक शा.ई.जी.एस.शा. जमगडी जिला सिंगरौली	BT7553	235008176 03	जनपद पंचायत बैदन जिला सिंगरौली जा.क्र.2441दि. 05.08.11	नगर पंचायत चुरहट जिला सीधी जा.क्र.790 दि. 08.08.11 शा.प्रा.शा. नकवेल	231705121 01
8	श्रीमती आरती शर्मा सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.शा. सवलगढ़ जिला मुरैना	AR6831	230207135 11	नगरपालिका परिषद सवलगढ़ जिला मुरैना जा.क्र.1240दि. 21.06.11	जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र.3692दि. 09.08.11 शा.ई.जी.एस. कैलोद कांकड	232605103 03
9	श्रीमती मिथलेश यादव सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. बरकुआँ जिला शिवपुरी	BB1369	230607083 01	जनपद पंचायत करैरा जिला शिवपुरी जा.क्र.1043दि. 21.07.11	नगरपालिका परिषद दतिया जिला दतिया जा.क्र.2630-5दि.15.06.11 शा.प्रा.शा. आनंद भवन कुईया पुरा	230501359 01
10 पा र स् प रि क 11	श्री महेश कुमार चौहान अध्यापक (कला) शा.मा.शा. बरखेड़ा खरेंट जिला सीहोर	AB1340	233305269 02	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.2931दि. 06.08.11	जिला पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र.943 दि. 01.08.11 शा.मा.शा. करोंद बुजुर्ग	232306180 02
	श्री रियाज उद्दीन सिद्दीकी अध्यापक (कला) शा.मा.शा. करोंद बुजुर्ग जिला देवास	BH2992	232306180 02	जिला पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र. 943दि. 01.08.11	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.2931दि. 06.08.11 शा.मा.शा. बरखेड़ा खरेंट	233305269 02
12	कुमारी स्मिता सहाय अध्यापक (विज्ञान) शा.मा.शा. झुण्डी जिला शाजापुर	AZ9994	232205092 03	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.4578दि. 06.12.10	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.2760दि. 28.07.11 शा.मा.शा. चोंदबड़	233305178 04
13	श्रीमती प्रदीप्ती झारिया अध्यापक (विज्ञान) शा.मा.शा. संतोषपुर जिला विदिशा	BF6132	233106165 02	जिला पंचायत विदिशा जिला विदिशा जा.क्र.6459दि. 20.06.11	जिला पंचायत भोपाल जिला भोपाल जा.क्र.3644दि. 10.08.11 शा.मा.शा. तरावली	233201130 02
14 पा र स् प रि क 15	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी अध्यापक (कला) शा.मा.शा. झडिया जिला दतिया	AI4789	230501350 02	जिला पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क्र.5819दि. 03.08.11	जिला पंचायत ग्वालियर जिला ग्वालियर जा.क्र.7126दि. 10.08.11 शा.हाईस्कूल सिरसौद (मुरार)	230404666 06
	श्री बलवीर सिंह जाटव अध्यापक (कला) शा.हाईस्कूल सिरसौद (मुरार) जिला ग्वालियर	BJ9512	230404666 06	जिला पंचायत ग्वालियर जिला ग्वालियर जा.क्र.7126दि. 10.08.11	जिला पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क्र.5819दि. 03.08.11 शा.मा.शा. झडिया	230501350 02
16 पा र स् प रि क 17	श्री अब्दुल रफीक शेख अध्यापक शा.वा.उ.मा.वि. बड़वाह जिला खरगोन	BS3573	232713777 01	नगरपालिका परिषद बड़वाहा जिला खरगोन जा.क्र.1705दि. 06.08.11	जिला पंचायत बुरहानपुर जिला बुरहानपुर जा.क्र.3174दि. 09.08.11 शा.हाईस्कूल शेखापुर	234805888 07
	श्री जितेन्द्र हतागले अध्यापक शा.हाईस्कूल शेखापुर जिला बुरहानपुर	AF4013	234805888 07	जिला पंचायत बुरहानपुर जिला बुरहानपुर जा.क्र.3174दि. 09.08.11	नगरपालिका परिषद बड़वाहा जिला खरगोन जा.क्र.1705दि. 06.08.11 शा.वा.उ.मा.वि. बड़वाह	232713777 01


61

18	श्रीमती प्रसन्ना साखरे अध्यापक (विज्ञान) शा.क.मा.शा. चिनौर (भिरवार) जिला ग्वालियर	AL1565	230402091 15	जिला पंचायत ग्वालियर जिला ग्वालियर जा.क्र.1443दि. 03.03.11	जिला पंचायत भोपाल जिला भोपाल जा.क्र.3408दि. 02.08.11 शा.मा.शा. सेवानिया ओंकार	233202100 01
19	श्रीमती सोनी मोहन अध्यापक (विज्ञान) शा.क.उ.मा.वि. ब्योहारबाग जिला जबलपुर	AB8410	233902777 03	नगरपालिक निगम जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 55 दि. 17.06.11	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.2966दि. 08.08.11 शा.मा.शा. सोनकच्छ	233305281 02

### संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। पदांकन आदेश जारी नहीं होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

“ आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


  
 सहायक संचालक  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24/8/11

पृष्ठा. क्रं./शि.क./संवि./ए/103/2011/733

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
सहायक संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश